Need to strengthen the Panchayati Raj system in the country

श्री दिलीप शइकीया (दारंग-उदालगुड़ी) : मैडम चेयरपर्सन, मैं एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ सारे देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के ध्यान आकर्षण और क्रियान्वयन के लिए यह विषय सदन के सामने रख रहा हूं ।

मैडम चेयरपर्सन, भारतीय संविधान के 73 वें संशोधन के साथ वर्ष 1992 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई । 24 अप्रैल पंचायती राज डे है । मैं पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांव के लोगों को विकास के साथ जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय डेमोक्रेसी को शक्तिशाली बनाने के लिए और लोकल कम्युनिटीज को प्रमोट करने के लिए देश के हर ग्राम पंचायत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने के लिए भारत सरकार से निवेदन करता हूं ।

दूसरा, वर्ष 2011 के सेंसस के अनुसार हमारे देश में कुल 6,40,930 गांव है । इन सभी गांवों में ग्राम सभा होती है ।

ग्राम सभा का काम ठीक तरीके से नहीं होता है । पब्लिक डोमेन में ग्राम सभा के बारे में डिटेल्स लिखकर कि ग्राम सभा में क्या-क्या डिसीजन्स हुए, उनको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ।

दूसरा, ग्राम सभा के माध्यम से 20 प्रोजेक्ट्स, 20 स्कीम्स ऑनलाइन में आती हैं, इनको बढ़ाकर मिनिमम 40 स्कीम्स करना चाहिए । मिनिमम 40 स्कीम्स पाइपलाइन में रहनी चाहिए । इसके कंप्लीशन का टाइम लाइन एक साल के अंदर एमजीनरेगा के माध्यम से हो या किसी के भी माध्यम से हो, वह कंप्लीट होना चाहिए । मेरा भारत सरकार से यह अनुरोध है ।